राजस्थान सरकार

न्यायालय **नायब** तहसीलदार गुड़ामालानी

प्रकरण संख्या 06 / 2022

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी लूणवा जागीर		बाबूराम पुत्र हरदास, सांवलाराम पुत्र वदाराम व भानाराम पुत्र माहिंगाराम जाति कलबी निवासी लूणवा जागीर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू – राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 08.12.2022

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का लूणवा जागीर ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा लूणवा जागीर राजकीय भूमि ख.न. 708/544 रकबा 0.0567 हेक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से 0.0567 हेक्टेयर(सम्पूर्ण) भूमि पर बाड़ बनाकर अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। अतः अप्रार्थी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये।

पूनः नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु अप्रार्थी को दुबारा अवसर दिया गया। सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 18.11.2022 को प्रार्थी उपस्थित, अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चिमनसिंह द्वारा वकालातनामा पेश कर जवाब, साक्ष्य व सबूल पेश करने हेतु समय चाहा गया था। समय दिये जाने के तदुपरान्त अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री चिमनसिंह द्वारा सुनवाई की नियत तारिख 08.12.2022 को जवाब, साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किये गये। प्रार्थी हल्का पटवारी लूणवा जागीर ने उपस्थित होकर बताया की अप्रार्थी द्वारा गैर मुमकिन रास्ते पर अतिक्रमण करके रास्ता बंद कर रखा है। जिससे आमजन, विद्यार्थियों, मरीजों को आवागमन में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए की मूल भावना बाधित हो रही है। आमजन को उक्त रास्ते की **अत्यावश्कता** होने से अप्रार्थी के विरूद्ध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि सरकारी भूमि है तथा गैर मुमकिन रास्ता है। जिस पर अप्रार्थी का अनाधिकृत कब्जा होने से ग्रामीणों, काश्तकारों का सुखाचार का अधिकार प्रभावित हो रहा है। रास्ते की अत्यावश्यकता होने से उक्त प्रकरण में विलम्ब किया जाना उचित नहीं है। अतः अप्रार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.05 रूपये का राउण्ड अप 01 रूपये का 50 गुना शास्ति [illegible] जुर्माना आरोपित किया जाता है। अप्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल करने के [illegible] दि[illegible] जाते हैं। तथा बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, ILR तथा नाम कायमी [illegible] तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Saran
Date: 2023.01.18 10:44:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 08.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

कार्यालय नायब तहसीलदार गुड़ामालानी

(बन्नाराम चौधरी)
नायब तहसीलदार गुड़ामालानी
नायब तहसीलदार गुड़ामालानी